जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-06.05.2025**

थाना कैराना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर फब्तियां कसने व अश्लील इशारे करने के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

दिनांक 05.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा चैकिंग/गश्त करते समय सार्वजनिक स्थान पर फब्तियां कसने व अश्लील इशारे करने के मामले में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में महिला थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.भूरा पुत्र इयास निवासी मौहल्ला इमामबाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

2.अजीम पुत्र शकील निवासी मौहल्ला इमामबाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उस्मान पुत्र अख्तर निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत घर में घुसकर नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजनों द्वारा दिनाँक 30.03.2025 को थाना कैराना पर तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.अरबाज पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला दरबारखुर्द रेतेवाला थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 04 अभियुक्त गिरफ्तार:-

ज्ञात हो दिनाँक 05.05.2025 को थाना कैराना पुलिस द्वारा गौकशी की घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1.साबिर पुत्र हारुन 2.जाकिर पुत्र नजरु 3.जमशेद पुत्र जिन्दा 4.इमरान पुत्र नजरु 5.मुन्तयाज पुत्र खुर्शीद निवासीगण ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली 6.जुल्फान पुत्र इलियास निवासी ग्राम जंधेड़ी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना कैराना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गौकशी की घटना कारित करने वाले गैंगस्टर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साबिर पुत्र हारुन निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

2.जमशेद पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

3.मुन्तयाज पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

4.जुल्फान पुत्र इलियास निवासी ग्राम जंधेड़ी थाना कैराना जनपद शामली।

1.आपराधिक इतिहास अभियुक्त साबिर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम व 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 136/2020 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली

3.मु0अ0सं0 137/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 139/20 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 266/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.आपराधिक इतिहास अभियुक्त जमशेद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनयम व 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 52/2003 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 266/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

3.आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुन्तयाज उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 76/2004 धारा 147/148/149/327/386 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 77/2004 धारा 392/395/398/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 201/2004 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 87/2012 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 73/2018 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 75/2018 धारा 3/5A/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 381/2018 धारा 307 भादवि व 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 15/2020 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 136/2020 धारा 307 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 137/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 138/2020 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

12.मु0अ0सं0 602/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

13.मु0अ0सं0 266/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.आपराधिक इतिहास अभियुक्त जुल्फान उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनयम व 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 175/2020 धारा 147/304/452/504/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 266/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना/थानाभवन पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना/थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.फैय्याज पुत्र असगर निवासी मौहल्ला सलारा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.नफीस पुत्र इनायत निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिन्दा गौवंश, 10 किग्रा प्रतिबंधित पशु मांस व कटान करने के उपकरण बरामद।</u>

आज दिनांक 06.05.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम हेतु अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 गौकशों को 01 जिन्दा गौवंश, 10 किग्रा प्रतिबंधित पशु मांस व कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.इरफान पुत्र दिलबहार निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.दिलबहार पुत्र साजिद निवासी ग्राम भैंसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1.एक जिन्दा गौवंश।

2.प्रतिबंशित पशु मांस 10 किलोग्राम।

3.कटान करने के उपकरण (एक दांव, दो छुरे, एक लकड़ी का गुटका, एक रस्सी आदि)।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 17.04.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत दहेज हत्या के संबंध में मृतका के परिजनो द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गई। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक झिंझाना को दिये गये थे।

आज दिनांक 06.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दहेज हत्या के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.तैय्यब पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम सबूरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में आबकारी अधिनियम के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-</u>

1.-वर्ष 2003 में अभियुक्तगण 1.राजेश पुत्र अतर सिंह 2.सोनू पुत्र अतर सिंह निवासीगण ग्राम पावटीकलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 280/2003 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2,500-2,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI